



Neutral Citation No.- 2026:AHC:7039

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 134 वर्ष 2026

उमेश चंद शर्मा

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	दधि बल यादव, राधा कृष्ण यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.बी. यादव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.बी. यादव ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह याचिका याचिकाकर्ता की पेंशन में संशोधन/सुधार के लिए दायर की गई है, फिर भी पेंशन पुनर्निर्धारण का आदेश याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने उक्त आदेश उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।
- दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 से संपर्क कर सकता है, जो रिट याचिकाकर्ता को आदेश की प्रति प्रदान करेगा।
- न्यायालय में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3 से संपर्क करें, जो याचिकाकर्ता को एक माह के भीतर उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराएगा। उक्त आदेश की तामील होने के बाद, याचिकाकर्ता इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।

12 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।